रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 407] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 3, 1986/आश्विन 11, 1908
No. 407] NEW DELHI, FRIDAY, OCT. 3, 1986/ASHVINA 11, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमण्डल सचिवालय

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

का.आ. 730(अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (एक सौ सतासीवां संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में,—

(1) नियम 3 में,—

(1) उपनियम (1) में, "उपनियम (2)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "उपनियम (2), (3) और (4)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(2) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(3) जहां किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के अभियोजन के लिए मंजूरी देना अपेक्षित है वहां—

(क) यदि वह सरकारी सेवक है तो उस विभाग द्वारा, जो उस सेवा के जिसका वह सदस्य है, काडर का नियंत्रक प्राधिकारी है, और किसी अन्य मामले में, उस विभाग द्वारा जिसमें वह, अभिकथित अपराध किए जाने के समय कार्य कर रहा था;

(ख) यदि वह, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी सेवक से भिन्न कोई लोक सेवक है तो, उस संगठन से प्रशासनिक रूप से संबंधित विभाग द्वारा जिसमें वह अभिकथित अपराध किए जाने के समय कार्य कर रहा था; और

(ग) किसी अन्य मामले में, उस विभाग द्वारा जो, उस अधिनियम को, जिसके अधीन अभिकथित अपराध किया गया है; लागू करता है :

परन्तु, जहां ऐसे अभिकथित किए गए अपराधों के लिए एक से अधिक अधिनियम के अधीन मंजूरी अपेक्षित है, वहां वह विभाग जो, ऐसे अधिनियमों में से किसी को लागू करता है, ऐसे सभी अधिनियमों के अधीन मंजूरी देने के लिए सक्षम होगा।

(4) राष्ट्रपति, उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेंगे कि किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा मंजूरी दी जाएगी।"

2. द्वितीय अनुसूची में--

(1) "खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय" शीर्ष के नीचे "क. खाद्य विभाग" उप शीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"1. नागरिक आवश्यकताओं के लिए खाद्य पदार्थों का क्रय और उनका निपटान तथा सैनिक आवश्यकताओं के लिए चीनी, चावल और गेहूं का क्रय भी";

(2) "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शीर्ष के नीचे "घ. संस्कृति विभाग" उपशीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 13 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"13. रत्न और आभूषण संग्रहालय";

(3) "कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय", शीर्ष के नीचे "क. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग" उपशीर्ष के नीचे, भाग 3 "सतर्कता और अनुशासन" में प्रविष्टि 20 में, उपप्रविष्टि (ख) और उसके नीचे "टिप्पण" का लोप किया जाएगा।

ज़ैल सिंह
राष्ट्रपति

[सं. 74/2/1/86-कैब.]
दीपक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 30th September, 1986

NOTIFICATION

S.O. 730(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (one hundred and eighty seventh Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(I) In rule 3,—

(i) In sub-rule (1), for the word, brackets and figure, "sub-rule (2)", the words, brackets and figures "sub-rules (2), (3) and (4)" shall be substituted;

(ii) After sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(3) Where sanction for the prosecution of any person for any offence is required to be accorded—

(a) If he is a Government servant, by the Department which is the Cadre Controlling authority for the service of which he is a member, and in any other case, by the Depatment in which he was working at the time of commission of the alleged offence; and

(b) If he is a public servant other than a Government servant, appointed by the Central Government, by the Department administratively concerned with the organisation in which he was workng at the time of commission of the alleged offence; and

(c) In any other case, by the Department which administers the Act under which alleged offence is committed :

Provided that where, for offences alleged to have been committed, sanction is required under more than one Act, it shall be competent for the Department which administers any of such Acts to accord sanction under all such Acts.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3) the President may, by general or special order, direct that in any case or class of cases the sanction shall be accorded by the Department of Personnel and Training."

(II) In the Second Schedule—

(i) under the heading "Ministry of Food and Civil Supplies (Khadya Aur Nagrik Poorti Mantralaya)" under the sub-heading "A. Department of Food (Khadya Vibhag)", for entry 1, the following shall be substituted namely :—

"1. Purchase of food stuffs for civil requirements and their disposal and also for military requirements of sugar, rice and wheat."

(ii) under the heading "Ministry of Human Resource Development (Manav Sansadhan Vikas Mantralaya)", under the sub-heading "D. Department of Culture (Sanskriti Vibhag)", after entry 13, the following shall be inserted, namely:—

"13A. Museum of Gems and Jewellery;".

(iii) under the heading "Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Karmic, Lok Shikayat Tatha Pension, Mantralaya)", under the sub-heading "A. Department of Personnel and Training (Karmic Aur Prashikshan Vibhag)", in Part III "Vigilance and Discipline", in entry 20, sub-entry (b) and the "Note" thereunder shall be omitted.

ZAIL SINGH
PRESIDENT

[No. 74/2/1/86-Cab]
DEEPAK DAS GUPTA Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986